Anx-3

पत्रांक-6/अ7-34/2002 3062 /

झारखंड सरकार
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा) झारखंड, राँची

सेवामें,

सचिव,
सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली ।

राँची, दिनांक 17.12.02 ।

विषय- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित श्री गुरुनानक विद्यालय, गिरिडीह को सी०बी०एस०ई०, नईदिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धेजों के अधीन अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

1.- मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्राप्त कराये गये प्रयोगशाला उपकरण की सूची के अनुसार एक वर्ष के अन्दर विद्यालय द्वारा प्रयोग-शाला में उपकरण पूरा कर लिया जायेगा।

2.- झारखंड सरकार द्वारा समय-समय पर विद्यालय से संबंधित जो भी नियम/परिनियम विद्यालय के लिए बनाये जायेंगे, उनका अक्षरशः पालन विद्यालय द्वारा किया जायेगा एवं मानव सेवा शर्त नियमावली को अंगीकृत करेगा एवं गुणवत्ता-युक्त पठन-पाठन का कार्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारद्वारा दिये गये अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धेजो के अतिरिक्त विभागीय आदेश संख्या-1055 दिनांक 5.9.2001 के आलोक में निम्नांकित शर्तों एवं बन्धेजों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

1.- विद्यालय की वार्षिक बचत आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।

2.- विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा।

3.- विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 (दो) (एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 (चार) एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से [illegible] या कम से कम 30 (तीस) वर्षों के निबंधित पट्टा/लीज पर होना [illegible] अधिकारी से जाँचोपरान्त भिन्न स्थिति पायी जायेगी [illegible] पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित हो [illegible]

Principal
SHREE GURUNANAK VIDYALAYA

4.- विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

5.- नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा।

6.- गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिए सुरक्षित होगा। शेष ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा।

7.- विद्यालय का कार्य कलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्धन, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु सकारात्मक प्रयास करना होगा।

8.- विद्यालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिए।

9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रक्रिया आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।

10.- विद्यालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।

11. राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्सन प्रोग्राम तथा एन०सी०सी० एन०एस०एस० स्काउट एवं गाईड आदि को सुचारु रूप से करना होगा।

12.- यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या 1055 दिनांक 5. 9. 2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।

13. उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धेजों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों का जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस ले सकती है।

15.- विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धेजों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी।

16- एतद् विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।

17.- समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विद्यालय सम्बद्धन संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्तों का उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

विश्वासभाजन,

निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा झारखंड,
राँची

ज्ञापांक............/ राँची, दिनांक..........

प्रतिलिपि- संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक ... को सूचनार्थ प्रेषित।

Secretary
SHREE GURUNANAK VIDYALAYA

12.04.24

Principal
SHREE GURUNANAK VIDYALAYA
GIRIDIH

पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा) झारखंड
रांची।

ज्ञापांक 3062 / रांची, दिनांक 12.12.04

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड के आप्त सचिव/सचिव मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा) झारखंड
रांची।

12.04.24
Principal
SHREE GURUNANAK VIDYALAYA
GIRIDIH

Secretary
SHREE GURUNANAK VIDYALAYA